



अकॅडेमिक
बुक पब्लिकेशन्स

अनुवाद : विविध आयाम
© डॉ. पोपट भावराव बिरारी

• प्रकाशक •

अकॅडेमिक बुक पब्लिकेशन्स
'ज्ञानदीप', फ्लॉट नं. 3, चैतन्य नगर, प्रगती स्कूल के सामने, जलगाँव 425001.

• प्रमुख वितरक •

प्रशांत बुक हाऊस
3, प्रताप नगर, श्री संत ज्ञानेश्वर मंदिर रोड,
नूतन मराठा महाविद्यालय के पास, जलगाँव 425001.
दूरध्वनी : 0257-2235520, 2232800 मो. 9421636460

• टाईपसेटिंग •

अकॅडेमिक बुक पब्लिकेशन्स, जलगाँव
संस्करण : प्रथम, जुलाई 2022
आयएसबीएन : 978-93-92425-00-0
मूल्य : ₹ 000/-

e-Books are available online at kopykitab.com

भारतीय कॉपीराइट एक्ट के तहत इस पुस्तक में प्रकाशित सामग्री कोई भी व्यक्ति/संस्था/समूह आदि इस पुस्तक की आंशिक या पूरी सामग्री किसी भी रूप में बिना अनुमति के मुद्रित/प्रकाशित/फोटो कॉपी नहीं कर सकता। इस का उल्लंघन करनेवाले कानूनी तौर पर हानि के उत्तरदायी होंगे।

अनुवाद के सिद्धांत

- डॉ. रेवा प्रसाद

किसी भाषा में कही या लिखी गई बात का किसी दूसरी भाषा में सार्थक परिवर्तन अनुवाद कहलाता है। अर्थात् किसी भाषा में अभिव्यक्त विचारों को दूसरी भाषा में यथावत प्रस्तुत करना अनुवाद है। जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है, वह मूलभाषा या स्रोत भाषा है और उससे जिस नई भाषा में अनुवाद करना है, वह लक्ष्य भाषा है। इस तरह स्रोत भाषा में प्रस्तुत भाव या विचार को बिना किसी परिवर्तन के लक्ष्य भाषा में प्रस्तुत करना ही अनुवाद है।

अनुवाद सिद्धांत का विकास :-

वर्तमान समय के अनुसार अनुवाद के सिद्धांत को दो चरणों में बाँटा गया है- 1) आधुनिक भाषाविज्ञान अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञान के विकास से पूर्व का युग- बीसवीं सदी पूर्वार्ध। 2) इसके पश्चात् का युग- बीसवीं सदी उत्तरार्ध।

सिद्धांत विकास के विभिन्न युगों में भले ही अनुवाद शब्दानुगामी हो या अर्थानुगामी हो भाषा में परिवर्तन होता रहा है। जैसे- 'Cashier'- 'रोकड़िया' और 'case is to be reviewed' - 'प्रकरण का पुनर्विलोकन किया जाना है।' होरेस तथा सिसरो ने रोमन युग के आरंभ में शब्दानुगामी और अर्थानुगामी अनुवाद में अंतर स्पष्ट करते हुए साहित्यिक रचनाओं के लिए अर्थानुगामी अनुवाद को महत्ता दी। सिसरो ने अच्छे अनुवादक को अलंकारों और व्याख्या करने में निपुण बताया। दूसरी शक्तिशाली धारा बाइबिल अनुवाद की है जिसमें अनुवादकों ने अर्थानुगामी अनुवाद को श्रेष्ठ माना है। इसमें अनुवादकों का उद्देश्य जनता तक बोधगम्य भाषा द्वारा बाइबिल के संदेश को पहुँचाना मात्र था।

जान वाइक्लिफ और विलियम टिंडल ने भी इसका समर्थन किया और बाइबिल के अनुवाद को बोधगम्य तथा सुंदर भाषा में शैली और अर्थ के बीच सामंजस्य की रक्षा करने के लिए प्रोत्साहन मिला, जिस्मी मार्टिन लूथर का भी योगदान उल्लेखनीय है। तीसरी धारा में अनुवाद शिक्षाक्रम से संबंधित रहा, जिसके अंतर्गत क्विटिलियन ने अनुवाद और समभाषी व्याख्या के लिए शब्दान्तरण की उपयोगिता को लेखन के अभ्यास और भाषण दक्षता को विकसित करने के संदर्भ में देखा। जिसका प्रसार मध्यकालीन यूरोप में अधिक हुआ। जिसके फलस्वरूप

स्थानीय भाषाओं का स्तर उपर उठा। विकसित भाषाओं से विकासशील भाषाओं में अनुवाद की प्रवृत्ति मध्यकालीन यूरोप के साहित्यिक जगत की प्रमुख प्रवृत्ति है जिसे उर्ध्वस्तरी आयाम की प्रवृत्ति कहा गया और इसी समय की विकसित या अविकसित भाषाओं के मध्य अनुवाद की प्रवृत्ति को समस्तरी आयाम की प्रवृत्ति कहा गया।

एलेग्जेंडर फ्रेजेर टिटलर की पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रांसलेशन अनुवाद की पहली पुस्तक मानी जाती है। जिसमें उन्होंने अनुवाद के तीन सूत्र बताए हैं - (1) अनुवाद में मूल रचना का सम्पूर्ण भाव हो (2) अनुवाद की शैली मूल के अनुसार हो (3) अनुवाद में मूल वाली सुबोधता हो।

उन्नीसवीं शताब्दी में अनुवादक को सर्जनात्मक लेखन समझने की प्रवृत्ति दिखाई देती है और दूसरी ओर शब्दानुगामी बनाने पर बल देने की बात कही गई है। आधुनिक भाषाविज्ञान का उदय भले ही बीसवीं शताब्दी के पूर्वार्ध में हुआ हो परंतु वर्तमान की दृष्टि से अनुवाद सिद्धांत में उतरार्ध की अवधि का महत्त्व है इस अवधि में अनुवादकों और भाषा विज्ञानियों का ध्यान अनुवाद सिद्धांत की ओर आकृष्ट हुआ।

विद्वान् युजेन नाइडा ने अपने विचारों को बाइबिल के अनुवाद के अनुभव के आधार पर ग्रंथों के रूप में प्रकट किया। इसमें अनुवाद का विस्तृत और तर्कसंगत रूप दिखाई पड़ता है। मूलभाषा पाठ के विश्लेषण के लिए नाइडा ने एक सुनिश्चित भाषा सिद्धांत प्रस्तुत किया और लक्ष्य भाषा में संदेश के पुनर्गठन के लिए विभिन्न आयामों को भी निर्धारित करते हुए दोनों भाषाओं के बीच विविध स्तरीय समायोजनों का भी विवरण प्रस्तुत किया।

विद्वान् कैटफोर्ड ने अनुवाद की सीमाओं पर विचार करते हुए अनुवाद की प्रवृत्ति का भाषा वैज्ञानिक विवरण देते हुए शुद्ध भाषा वैज्ञानिक आधार पर अनुवाद के प्रारूपों का भी निर्धारण किया। विद्वान् पीटर न्युमार्क ने अनुवाद का तर्क संगत विवेचन प्रस्तुत करते हुए अपने विचारों को उदाहरण द्वारा स्पष्ट करने का प्रयास किया है।

अनुवाद के सिद्धांत :-

अनुवाद के सिद्धांत अपने आप में कोई विशिष्ट विचारधारा नहीं है बल्कि अनुवाद के सम्बन्ध में विभिन्न विचारकों ने जो सिद्धांत बनाये हैं, उन्हें अनुवाद के सिद्धांत कहते हैं। ये निम्नलिखित हैं -

- 1) अर्थ संप्रेषण का सिद्धांत - अनुवाद का मूल उद्देश्य स्रोत भाषा के कथ्य को लक्ष्य भाषा में संप्रेषित करना है अर्थात् एक भाषा में

कही गई बात को दूसरी भाषा में संप्रेषित करना तथा इसके भाव को कायम रखना अनुवाद कहलाता है। अर्थ संप्रेषण करने के दौरान हमारी भाषा बिल्कुल साफ और स्पष्ट होनी चाहिए नहीं तो प्राप्तकर्ता उसे गलत भी समझ सकता है। जैसे - A brief history of the case is as follows इसका अनुवाद होगा- मामले का संक्षिप्त इतिवृत इस प्रकार है। अर्थ संप्रेषण प्रभावी तभी हो सकता है जब संदेशों के बीच में समन्वय स्थापित होता है अन्यथा अर्थ नहीं निकल पाएगा। सूचनाएँ उपक्रम की नीतियाँ, योजनाएँ तथा उद्देश्यों के अनुरूप होनी चाहिए। जैसे Approved subject to the observations at 'A' इसका अनुवाद होगा - 'क' में लिखी टिप्पणियों की शर्त पर अनुमोदित। अर्थ संप्रेषण में सूचनाएँ शिष्ट एवं सभ्य होनी चाहिए और इसमें कठोर शब्दों, अपशब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। संदेश देते हुए यह ध्यान रखना जरूरी है कि गलत संदेश न चला जाए। जैसे- Circulate and then file इस संदेश को देते हुए लिखेंगे- संबद्ध व्यक्तियों को दिखा कर फाइल में लगा दीजिए। अनुवाद प्रक्रिया के अंतर्गत अर्थ ग्रहण व अर्थ संप्रेषण दो क्रियाएँ ही मुख्य हैं, अन्य क्रियाएँ गौण होती हैं।

- 2) **समतुल्यता का सिद्धांत** - इस सिद्धांत में प्रकरण, संदर्भ, व्यंजना, अभिव्यक्ति और प्रयुक्ति को ध्यान में रखते हुए समतुल्यता अभिव्यक्ति प्रस्तुत करना समतुल्यता का सिद्धांत है। अर्थात् स्रोत भाषा के कथ्य को उसी मात्रा में लक्ष्य भाषा में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, न कम न ज्यादा। संज्ञा वाचक शब्दों में ध्वनियों का रूपांतरण लक्ष्य भाषा में शब्द का जैसा उच्चारण हो वैसा ही लिखा जाना चाहिए। उदाहरण - 'Academy' - 'एकेडमी' न लिखकर अकादमी लिखा जाना चाहिए। जिन शब्दों के लिए पर्याय बना दिए गए हैं उनके लिए उन्हीं पर्यायों का उपयोग करना चाहिए। जैसे - 'formula' - 'सूत्र', 'General' - 'साधारण' है। इसी प्रकार 'Water' का अर्थ जल नहीं है बल्कि जल 'Water' का समतुल्य है' ।

समतुल्यता के सिद्धांत में हमें यह भी ध्यान देना चाहिए कि पद का पर्याय लक्ष्य भाषा की संरचना और प्रकृति के अनुकूल हो। उदाहरण - 'Overtime allowance' का अनुवाद अतिरिक्त समय भत्ता होगा। इसी तरह 'pass' का शाब्दिक अर्थ 'पास, पारण, पास करना,

पारित' होगा। इसी तरह वाक्य के स्तर पर हमें वाक्य के समस्त रूप को समझते हुए लक्ष्य भाषा की व्याकरणिक संरचना का ध्यान रखते हुए उसका समतुल्य देना चाहिए। उदाहरण - As the circumstances of the case may require - जैसा कि प्रकरण की परिस्थिति में अपेक्षित हो। इसी प्रकार 'The killings of innocent people in Punjab must be condemned.' शब्दकोश में innocent के लिए निर्दोष, निष्पाप, निरपराध, अबोध, निरीह, सीधा आदि समानार्थक शब्द दिए गए हैं और 'condemned' के निंदा करना, ग्रहण करना, दोषी या अपराधी ठहराना, दण्ड देना, जब्त कर लेना आदि इन शब्दों में से कौन सा शब्द यहाँ सटीक बैठता है यह आप अपने अनुसार चयन करेंगे। यहाँ पर innocent के लिए निरपराध, बेगुनाह या मासूम शब्द का प्रयोग किया जा सकता है और condemned के लिए निंदा या ग्रहण करना शब्द का प्रयोग कर सकते हैं तभी वाक्य अपना अर्थ पूर्ण रूप से स्पष्ट करेगा।

- 3) **व्याख्या का सिद्धांत** - विद्वानों का यह मानना है कि अनुवाद केवल अर्थ संप्रेषण ही नहीं बल्कि व्याख्यात्मक होता है और किसी भी भाषा के भाषिक प्रतीकों की व्याख्या दूसरी भाषा के भाषिक प्रतीकों में करना ही अनुवाद है। जेम्स होम्स का मानना है कि अनुवाद आलोचनात्मक व्याख्या है। इन विद्वानों का यह मानना है कि स्रोत भाषा के शब्दों का अर्थ निकाला नहीं जा सकता भले ही वह सामाजिक, सांस्कृतिक परम्पराओं, धर्म और संस्कारों से शब्द जुड़े ही क्यों न हों। भले ही वाक्य में हम लोकोक्तियों, मुहावरों या अलंकारों का ही प्रयोग करते हुए शब्दों के अर्थ क्यों न दे दें परंतु इससे अनुवाद संभव नहीं होता है। जब तक हम वाक्य में इसकी व्याख्या न कर लें, अर्थ संप्रेषित नहीं होता है। कठिन शब्दों की सरल व्याख्या कर हम अनुवाद को आसन बना सकते हैं जिसके लिए अनुवादक को पाठक के बौद्धिक स्तर को ध्यान में रखना होगा। अतः बिना व्याख्या अनुवाद हो ही नहीं सकता। उदाहरण- Exploitation of resources के लिए- 'संसाधनों का शोषण' नहीं लिखा जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर संसाधन उत्पीड़न नहीं है। संसाधनों का दोहन होना चाहिए। दोहन से अभिप्राय सदुपयोग से है।

- 4) **प्रभाव क्षमता का सिद्धांत**- विद्वानों का मानना है कि काव्य

और ललित साहित्य का अनुवाद करते समय हमें उसकी शैली और अभिव्यक्ति के भावों के अनुवाद को स्रोत भाषा की तरह ही संप्रेषित करना होता है। इस कारणवश अनुवाद का प्रभाव पाठकों पर पड़ता है और अनुवाद में क्षमता का प्रभाव काफी महत्त्व रखता है। उदाहरण- 'सत्यम् शिवम् सुन्दरम्' का अनुवाद 'The truth The good The beaut' हुआ परन्तु हिंदी में अनुवाद करते समय यह सत्य, शिव और सुंदर नहीं होगा।

- 5) **सांस्कृतिक ऐक्य का सिद्धांत** - विचारकों का मत है कि अनुवाद सेतु की तरह दो संस्कृतियों एवं दो समाजों को जोड़ने का काम भी करता है। इसमें हम दो अलग-अलग सामाजिक परिवेशों से परिचित होते हैं। इसी दृष्टिकोण से इस सिद्धांत का निर्माण किया गया है। अर्थात् व्यक्ति जिस समाज में पैदा होता है, पलता-बढ़ता है उसी के संस्कारों में रच बस जाता है। एक-दूसरे के संस्कारों को अपनाने मात्र से ही मानव कल्याण की भावना विकसित होती है। अनुवाद के माध्यम से विभिन्न संस्कृतियाँ, समाज, देश एक दूसरे से जुड़ जाते हैं।
- 6) **पुनर्कूटांकन का सिद्धांत** - पुनर्कूटांकन का अनुवाद में अपना एक विशेष महत्त्व है। कूट अर्थात् संकेत होता है। विशेषरूप से कविता की भाषा में जो रचना होती है वह संकेतपूर्ण होती है। इसमें स्रोत भाषा के कूटों का विश्लेषण करके उसे लक्ष्य भाषा में नए कूटों के द्वारा संप्रेषित किया जाता है। इसलिए इन दोनों कूटों की सूचनाओं में तालमेल बैठाकर अनुवाद किया जाता है।
- 7) **पुनः सृजन का सिद्धांत** - विद्वानों का कहना है कि जब साहित्य को सृजन कहा जा सकता है तो अनुवाद को क्यों नहीं। जब एक भाषा में लिखा हुआ साहित्य सृजन बन सकता है तो दो भाषाओं के द्वारा पाठकों को सही अर्थ प्रदान करने वाला अनुवादक सृजक क्यों नहीं कहला सकता? परन्तु अनुवाद की यह सीमा है कि वह पहले किये गए अनुवाद को ही पुनः सृजित करता है। जैसे - Copy enclosed for ready reference - सुलभ संदर्भ के लिए प्रतिलिपि संलग्न है। एक और उदाहरण - Case is closed now- प्रकरण की कार्रवाई समाप्त हो चुकी है।
- 8) **अनुकृति का सिद्धांत** - इस सिद्धांत के सर्वप्रथम प्रवर्तक प्लेटो

हैं और उन्होंने अपने अनुकरण के सिद्धांत का उदाहरण देते हुए हमें समझाने का प्रयास किया है कि कला मूर्ति का अनुकरण है। किसी वस्तु को अन्य माध्यम द्वारा प्रकट करने की क्रिया अथवा प्रवृत्ति अनुकरण है। इस दृष्टि से भाषा एवं साहित्य भी अनुवाद है। आगे अरस्तू (ऑरिस्टॉटल) ने इसे अधिक व्यापक रूप दिया है। उन्होंने अपने ग्रंथ 'काव्यशास्त्र' में 'अनुकरण सिद्धांत' का प्रतिपादन किया है। उनके अनुसार मूल रचना यदि प्रकृति की अनुकृति है तो अनुकरण उस अनुकृति की अनुकृति है। साहित्यिक अनुवाद नकल की भी नकल होता है। इसलिए इसे अनुकृति का सिद्धांत कहा गया है।

निष्कर्ष :-

अंत में यह कहना उचित होगा कि अनुवाद एक अभ्यास की प्रक्रिया है जो जितना अभ्यास करेगा वो उतना ही कुशल एवं सफल अनुवादक होगा। वर्तमान समय में यदि हम देखें तो सभी देश एक दूसरे के साथ व्यापारिक तौर पर जुड़े हुए हैं और अपने देश की व्यवस्था को हर संभव मजबूत करना चाहते हैं। इसलिए अनुवादक की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। अतः अनुवादक अनुवाद के सिद्धांतों का प्रयोग करके अनुवाद में सहजता, प्रभावशीलता और मौलिकता ला सकता है तथा अनुवाद को अत्यधिक सार्थक बनाया जा सकता है।

संदर्भ ग्रंथ :-

1. हिंदी अनुवाद एवं भाषिक संरचना - डॉ. सौ. शकुंतला पांचाल
2. प्रयोजनमूलक हिंदी : अधुनातन आयाम - अंबादास देशमुख
3. अनुवाद अनुसृजन - ए. अरविन्द दाक्षन